2022/138

फर्द अहकाम

गोपाललाल बनाम रामकिशोर

लय : सहायक कलक्टर, बस्सी

/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र 89/22

ांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3.07.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत ने मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के वकील को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर अंतरिम पर सुना गया। न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन करने एवं वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया तो हम पाते है कि वकील प्रार्थी को एकपक्षीय स्थगन दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 02.08.2022 को पेश हो। Srishti सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	नोटिस जारी ON 3837-46 21/7/22
2-8-22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] दौरे/ अन्य कार्य में [illegible] के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 19-9-22 को पेश हो।	[illegible] 2/8/22
19/09/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अनुपस्थित। उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित मूलवाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः उक्त प्रा. पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Scanned with OKEN Scanner